राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक :– प0 5 (51)/कार्मिक/क–2/88 पार्ट दिनांक : 13.05.2011

परिपत्र

विषय :– अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा से मुक्त किये जाने के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रता अनुसार नियुक्ति दिये जाने का प्राधान है। उक्त नियमों के नियम–9 के अन्तर्गत एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प: 3 (67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.07.99 के अनुसार नियुक्त आश्रित को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण तिथि से 3 वर्ष की अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.09.09 जारी की गई है, जो आश्रित विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा से छूट के संबंध में है। उक्त अधिसूचना के क्रियान्वयन के संबंध में कई नियुक्ति प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा समय समय पर प्रकरण कार्मिक विभाग को राय/मार्ग दर्शन हेतु प्राप्त होते रहते हे।

इस परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 07.09.09 राजस्थान सरकार कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत उन सभी आश्रित विधवा महिलाओं पर लागू है जो कि दिनांक 07.09.09 से पूर्व एवं पश्चात नियुक्त हुई है/होगी, ऐसी सभी आश्रित विधवा महिलाऐं टंकण परीक्षा से मुक्त होंगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्त प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

ह0

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :– ई–18/एम/(6211–यू)/11/880 दिनांक : 2-6-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य)/आर.सी.एच/एड्स/आई.ई.सी. मुख्यालय।
2. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. समस्त अधीक्षक, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन–राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/परिपत्र।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर।